DOIT.C
Department of Information Technology & Communication, Rajasthan

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः–एफ.2(204)/डीओआईटीएण्डसी/2022/ जयपुर, दिनांकः

<u>संशोधित कार्यालय आदेश</u>

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 15961712 दिनांक 19.06.2025 के द्वारा श्री मुकेश चन्द शेरावत, सूचना सहायक की 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम एसीपी दिए जाने के आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में कार्मिक की प्रथम ए.सी.पी. देय दिनांक 02.06.2025 के स्थान पर दिनांक 26.06.2025 सहवन से अंकित हो गई थी। अतः श्री मुकेश चन्द शेरावत, सूचना सहायक के प्रथम एसीपी के निम्नानुसार संशोधित आदेश जारी किये जाते हैं–

क्र. सं.	मेरिट नं0	सूचना सहायक का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	विभाग/कार्यालय का नाम	सूचना सहायक के पद पर प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	प्रथम ए.सी. पी. देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	W-625	मुकेश चन्द शेरावत	विशिष्ट न्यायाधीश सीबीआई केसेज क्रम–2, जयपुर महानगर–प्रथम	02.06.2016	02.06.2025	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय

* उक्त कार्मिक के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्यमूल्याकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्यमूल्याकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्याकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तद्नुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त सूचना सहायक का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 (2) एवं अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार किया जाकर प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार कार्मिक की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हेंः–

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत नही की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरूद्व फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षो से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
6. इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(संजय जगदीश कर्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1. वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. सम्बंधित सूचना सहायक।
5. सम्बंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रशासनिक अधिकारी

Document certified by SANJAY JAGDISH KARNIK <sjkarnik.doit@rajasthan.gov.in>.

Digitally Signed by Sanjay Jagdish Karnik
Designation : Head Of Office
Date :19-06-2025 06:37:22

RajKaj Ref No.: 16021536